राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांक:– प. 6(26) प्र.सु. / अनु–3 / 2009 जयपुर, दिनांक 3.7.2009

आज्ञा

राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा विषय के लिए "नेशनल रोड़ सेफ्टी कौंसिल" बनाई गई है। इसी अनुसार सभी राज्यों में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में "स्टेट रोड़ सेफ्टी कौंसिल" गठित करने का प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 में दिया गया है।

अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा "स्टेट रोड़ सेफ्टी कौंसिल" का गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है--

1.	माननीय परिवहन मंत्री	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, गृह	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, परिवहन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
8.	परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव	सदस्य सचिव
9.	मुख्य अभियंता, सड़क, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
10.	अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात	सदस्य
11.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य
12.	पुलिस अधीक्षक, यातायात, जयपुर	सदस्य
13.	महाप्रबन्धक, एन.एच.ए.आई. जयपुर	सदस्य

14. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाइल इंजिनियर) सदस्य

15. रीजनल मैनेजर, अशोक लीलेण्ड सदस्य

16. रीजनल मैनेजर, हीरो होण्डा सदस्य

17. अध्यक्ष, ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन सदस्य

18. अध्यक्ष, स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसियेशन सदस्य

19. अध्यक्ष, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज आपरेटर्स एसोसियेशन सदस्य

20. अध्यक्ष, टैक्सी आपरेटर्स एसोसियेशन सदस्य

21. सड़क सुरक्षा से संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि सदस्य

कौंसिल की मीटिंग हर माह आयोजित की जावेगी। गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जावेगा। कौंसिल का प्रशासनिक विभाग परिवहन विभाग होगा।

<u>स्टेट रोड़ सेफ्टी कौंसिल के कार्य–</u>

1. सड़क इंजीनियरिंग
   - (ए) दुर्घटना बाहुल्य एवं संभावित स्थानों की रोड़ इंजीनियरिंग का अध्ययन कर उनको ठीक कराने के प्रस्तावों की समीक्षा उपरान्त क्रियान्विति कराना।
   - (बी) राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य सड़कों के निर्माण से पूर्व न्यूनतम सुरक्षा प्रमापों का निर्धारण।
2. राज्य सरकार को सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन के मामलों मे सलाह देना।
3. सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन कार्य करने वाले विभागों/एजेन्सियों में समन्वय स्थापित करना।
4. दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए ट्रोमा अस्पतालों के लिए न्यूनतम सुविधाओं का निर्धारण।
5. सड़क सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रमापों की जांच करना।

6. सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन से संबंधित सुझावों का परीक्षण एवं शिकायतों का निस्तारण।

7. सड़क सुरक्षा के लिए निर्धारित नियमों, विधि के प्रावधानों की क्रियान्विति की मॉनिटरिंग।

8. सड़क उपयोग करने वालों के व्यवहार, सड़क सुरक्षा व यातायात प्रबन्धन नीतियों, यातायात नियमों के प्रति जन चेतना, प्रचार–प्रसार आदि का कार्य।

9. सड़क दुर्घटना की जांच, आंकड़े एकत्र करने, रिपोर्ट लेने व उनका विश्लेषण करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करना।

10. सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन के लिए सड़कों पर पदयात्रियों, बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं, विकलांगों आदि के लिए अलग से प्रावधान करना।

11. सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन को बेहतर बनाने के लिए अन्य संबंधित सभी कार्य।

कार्य विधि–

1. कौंसिल द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन के लिए निर्णय लिये जावेंगे तथा उनकी क्रियान्विति संबंधित विभागों के माध्यम से कराई जावेगी। कौंसिल के निर्णय संबंधित मंत्रीगण एवं प्रमुख शासन सचिवगण को क्रियान्विति हेतु भिजवाये जायेंगे।
2. लिये गये निर्णय एवं क्रियान्विति की प्रगति से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जावेगा।
3. कौंसिल सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन के संबंध में सीधे विभागों, जिला प्रशासन बोर्ड, कार्पोरेशन, प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगा, जो इनकी क्रियान्विति हेतु बाध्य होंगे।

आज्ञा से,

9.7.08

उप शासन सचिव

D:\Dravid\Yatayat Prbandhan Samiti (Aagya).doc

4

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, यातायात मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, राज्य मंत्री, यातायात।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग (स्कूल शिक्षा)
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग।
12. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव
11. मुख्य अभियंता, सड़क, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
12. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात।
13. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।
14. पुलिस अधीक्षक, यातायात, जयपुर।
15. महाप्रबन्धक, एन.एच.ए.आई., जयपुर।
16. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाइल इंजिनियर)
17. रीजनल मैनेजर, अशोक लीलेण्ड।
18. रीजनल मैनेजर हीरो होण्डा।
19. अध्यक्ष, ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन।
20. अध्यक्ष, स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसियेशन।
21. अध्यक्ष, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज आपरेटर्स एसोसियेशन।
22. अध्यक्ष, टैक्सी आपरेटर्स एसोसियेशन।
23. मैनेजिंग ट्रैस्टी, (एन.जी.ओ.)
24. मैनेजिंग ट्रैस्टी, (एन.जी.ओ.)
25. उप शासन सचिव, परिवहन विभाग, मुख्यालय को आदेश की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।

2/7/10

अनुभाग अधिकारी

D:\Dravid Yatayat Prbandhan Samiti (Aagya).doc